

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठारीन अधिकारी-

रामरतन सौकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

73/2025 प्रा.पत्र/2025

15.07.2025

तारीख निर्णय

10.10.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

प्रार्थी

बनाम

1-श्री वहीदुल्लाह खॉन पुत्र श्री अनवरउल्लाह खॉन निवासी नाला घतरा खटीक कालीपलटन नालन्दा स्कूल के पास टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बॉबी दा ढाबा जेरेकिला तिराहा एनएच-52 टोंक जिला टोंक राज0। मोबाईल नं0 9214980422  
2-मैसर्स बॉबी दा ढाबा बाडा जेरेकिला तिराहा एनएच-52 टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड-304001

अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री फहीम अख्तर उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 10/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.05.2025 को समय 03:30 पी.एम. पर मैसर्स बॉबी दा ढाबा बाडा जेरेकिला तिराहा एनएच-52 टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री वहीदुल्लाह खॉन पुत्र श्री अनवरउल्लाह खॉन अपने प्रतिष्ठान बॉबी दा ढाबा बाडा जेरेकिला तिराहा एनएच-52 टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करता हुए उपस्थित मिला, श्री वहीदुल्लाह खॉन पुत्र श्री अनवरउल्लाह खॉन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री वहीदुल्लाह खॉन पुत्र श्री अनवरउल्लाह खॉन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान के किचन में एक भगोने में लगभग 2-3 किलोग्राम बटर (खुला) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री वहीदुल्लाह खॉन पुत्र श्री अनवरउल्लाह खॉन को फार्म नं0 5 ए में वारंट नमूना कथ्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की शीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक


कर प्रतियों में विक्रेता श्री वहीदुल्लाह खॉन पुत्र श्री अनवरउल्लाह खॉन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह बटर (खुला) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत बिना को नगद दकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बटर (खुला) 800 ग्राम को हिला मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ व सूखी प्लारिस्टिक की थ्रियों में बराबर-बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर (प्रत्येक भाग 200 ग्राम) थ्रियों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डीओ के कोड एवं क्रमांक आई-4381 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों का अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप नं. आई-4381 नीचे सेउपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रैपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार गोंद पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्रक्रमक एफएसएसए/2025/755 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/2130/एक्ट/2025/2204 दिनांक 19.05.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया बटर (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री फहीम अख्तर उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव



अतिरिक्त अधिकारी  
टॉक

उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शारित के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकृष्ट डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस बटर (खुला) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है। इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया बटर (खुला) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शारित रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शारित जमा नहीं करवाने पर शारित वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(समस्त) सो कार्या  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज